न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :93/2020

वादीगण–

1. हनुमान डुकिया पुत्र श्री राम डुकिया
   जाति–जाट, निवासी जायल, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मोहनी देवी पत्नी नाथुराम
2. श्रीराम पुत्र रूपाराम
   जाति–जाट, निवासी जायल, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
3. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 22/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 319 रकबा 1.2626 हैक्टेयर, खसरा नंबर 276 रकबा 2.4281 , खसरा नंबर 287 रकबा 1.8696 हैक्टेयर, खसरा नंबर 299 रकबा 3.1404 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 564 रकबा 2.5981 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा मौखिक तौर पर सम्वत् 2070 में वाद पत्र के पैरा संख्या 3 (क से ग) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी हनुमानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 276 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 299 रकबा 3.1404 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 564 रकबा 2.5981 हैक्टैयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 मोहनी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 299 रकबा 3.1404 हैक्टेयर रखा गया है। प्रतिवादी श्रीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 319 रकबा 1.2626 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 287 रकबा 1.8696 व खेत खसरा नंबर 299 रकबा 3.1404 हैक्टैयर रखा गया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम

22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने दिनांक 07.09.2020 को न्यायालय में उपस्थित होकर ईकबालिया जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेन्दा ने की। ईकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह हनुमानराम डुकिया पुत्र श्रीराम डुकिया, श्रीराम पुत्र रूपाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम जायल तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 1578 व 1579 प्रदर्श–1 नकल पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबालिया जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबालिया जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 07.09.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 07.09.2020 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा जायल के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 319, 276, 287, 299, 564 की भूमि को यथावत वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य माफिक ईकबालिया जबाब अनुसार बंट चाहा है तथा पक्षकारान् के द्वारा खेतायों विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 04.10.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 04.10.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2255 दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी श्रीराम व हनुमानराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि पटवार हल्का तथा भू.अभि.निरीक्षक जायल की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 319, 276, 287, 299, 564 में वादी हनुमानराम को प्रतिवादी संख्या 1, 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 319, 276, 287, 299, 564 में वादी हनुमानराम को प्रतिवादी संख्या 1, 2 के साथ

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी हनुमानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 276 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 564 रकबा 2.5981 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 मोहनी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 299 रकबा 3.1404 हैक्टेयर रखा गया है।
3. प्रतिवादी श्रीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 319 रकबा 1.2626 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 287 रकबा 1.8696 व खेत खसरा नंबर 299 रकबा 3.1404 हैक्टैयर रखा गया है।
4. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :93/2020

वादीगण–

1. हनुमान डुकिया पुत्र श्री राम डुकिया
   जाति–जाट, निवासी जायल, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. मोहनी देवी पत्नी नाथुराम
2. श्रीराम पुत्र रूपाराम
   जाति–जाट, निवासी जायल, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
3. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्द राम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 319, 276, 287, 299, 564 में वादी हनुमानराम को प्रतिवादी संख्या 1, 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी हनुमानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 276 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 564 रकबा 2.5981 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 मोहनी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 299 रकबा 3.1404 हैक्टेयर रखा गया है।

22/6/2022
सहायक कलेक्टर
(उप.मं.अ.) जायल

3. प्रतिवादी श्रीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 319 रकबा 1.2626 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 287 रकबा 1.8696 व खेत खसरा नंबर 299 रकबा 3.1404 हैक्टैयर रखा गया है।
4. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

मीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)